न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

ीठासीन अधिकारी : **डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0**
ाजस्व वाद संख्या : 43/2022
GCMS NO. : 2022/73

–: प्रार्थीया :– बना॰ –: अप्रार्थीगण :–

1. गुटकी देवी पत्नी ढगलाराम जाति– जाट, निवासी– काणेचा, तह॰ जैतारण, जिला– पाली राजस्थान।

1. कुम्भाराम पुत्र मदनलाल
2. केसरीमल पुत्र मोहनलाल
3. प्रेमचंद पुत्र मोहनलाल
4. भरतनारायण पुत्र मदनलाल
   जातिगण– नाई निवासीगण– लितरीया
5. ओमप्रकाश पुत्र भैराराम
6. रखाराम पुत्र भैराराम
7. सुरेश पुत्र भैराराम
8. हगराम पुत्र भैराराम
   जातिगण– भाम्बी, निवासीगण– लितरी॰ तहसील– जैतारण, जिला– पाली राजस्॰
9. तहसीलदार, जैतारण, तहसील–जैतारण।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 तारीख रजू:–03.03.2022

उपस्थित:–

1. श्री सुरेश चौधरी, डांवर राम चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थीया।

–:: निर्णय ::– **दिनॉक:–30/08/2022**

वकील मय प्रार्थीया ने एक राजस्व प्रार्थना बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया किप्रार्थीया की खातेदारी कब्जा काश्त सुदा काश्तसुदा हक सुदा भूमि राजस्व मौजा लितरिया पटवार हल्का काणेचा, तहसील जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 311/1 रकबा 1.6187 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल आई हुई हैं। इसी प्रकार प्रार्थीया की खातेदारी कब्जा काश्त सुदा काश्तसुदा हक सुदा भूमि राजस्व मौजा लितरिया पटवार हल्का काणेचा, तहसील जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 1/4 रकबा 2.4281 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम की आई हुई है। उक्त दोनों खसरा नम्बरान की भूमिया लितरीया व काणेचा गांव की सरहद पर स्थित होकर आपस में चिपते हुये आई हुई है। जिनकी नकल चालू जमाबंदी इस प्रार्थनापत्र के साथ पेश हैं। इस भूमि को प्रार्थनापत्र में आगे विवादित भूमि के नाम से जाना जायेगा। प्रार्थीया की खातेदारी व हक सुदा भूमि के नाम से जाना ... प्रार्थीया की इस खातेदारी व हक सुदा भूमि के उत्तरी पश्चिमी पड़ोस में अप्रार्थी संख्या 01 से 04 व अप्रार्थी संख्या 05 से 08 की खातेदारी सुदा खसरा नम्बर 308/1 व 308 की भूमि आई हुई है। प्रार्थीया व अप्रार्थीगण की भूमि मौके पर अलग अलग स्थित है एवं राजस्व रेकर्ड में भी भूमि का अलग से बंटवाड़ा होकर अलग अलग ही तरमीम की हुई है। प्रार्थीया व अप्रार्थीगण की उक्त भूमि अलग अलग होने के बावजूद भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:30:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी जैतारण (पाली)

प्रार्थीगण भूमि के नाप चौप एवं सीमा लेकर के आये दिन मौके पर विवाद कर रहे है तथा पूर्व से मौके पर स्थापित सीमा चिन्हों को भी अप्रार्थीगण ने खुर्द बुर्द कर दिया है तथा प्रार्थीया द्वारा अपनी खातेदारी भूमि पर पत्थर खड़े कर की जा रही पत्थरबंदी को भी रूकवा दिया है जिस पर प्रार्थीया व उसके पति ने कई बार अप्रार्थीगण से निवेदन किया कि वह सीमा विवाद एवं नाप को लेकर मौके पर किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं करें एवं आपसी सहमति से सम्पूर्ण भूमि का नाप चौप करवाकर माफिक नाप के मौके पर आपसी सहमति से ही पत्थरगढ़ी करवा लेवें परन्तु अप्रार्थीगण उसमें नही मान रहे है एवं दिनांक 10.02.2022 को अप्रार्थीगण ने मौके पर पर नाप के पत्थरगढ़ी करनें से स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया है। इस बाबत् प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण तहसीलदार जी जैतारण से भी नाप चौप करने बाबत् निवेदन किया जिस पर उनके द्वारा नियुक्त हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 15.02.2022 को नाप चौप करनें की कार्यवाही से पूर्व अप्रार्थीगण से सहमति बाबत् पूछा तो उन्होंने ऐसा नाप चौप व सीमाज्ञान करवाने से से इंकार कर दिया तथा मौके पर विवाद किया। इस प्रकार से ऐसी परिस्थितियों में अदालत श्रीमान के समक्ष यह कार्यवाही पेश करनें के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रह जाने से प्रार्थनापत्र बहक प्रार्थीया विरूद्ध अप्रार्थीगण के सादर पेश है। प्रार्थीया व अप्रार्थीगण की उक्त भूमि अदालत हाजा के श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार में ही स्थित हैं तथा नियमानुसार न्याय शुल्क भी इस प्रार्थनापत्र के साथ सादर पेश किया जा रहा है तथा अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर आपसी सहमति से नाप चौप करनें से दिनांक 10.02.2022 को स्पष्ट रूप से इन्कार कर देने पर यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः कार्यवाही/प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र के आप श्रीमान् के समक्ष पेश कर निवेदन है कि राजस्व मौजा लितरिया पटवार हल्का काणेचा तहसील जैतारण जिला पाली में स्थित खसरा नम्बर 311/1 रकबा 1.6187 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल एवं राजस्व मौजा काणेचा पटवार हल्का काणेचा तहसील जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 1/4 रकबा 2.4281 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम की दोनों खसरान् नम्बरान की भूमिया लितरिया व काणेचा गांव की सरहद पर स्थित होकर आपस में चिपते हुये प्रार्थीया की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि है जिसके उत्तरी पश्चिम तरफ ही राजस्व मौजा लितरिया पटवार हल्का काणेचा में ही अप्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त के खसरा नम्बर 308/1 व 308/2 की भूमियों का नाप चौप कर सीमाज्ञान करवाया जावें एवं मौके पर प्रार्थीया की भूमि का बाद नाप चौप के सीमाकंन अनुसार मौके पर पत्थरगढ़ी व नेखमबंदी करवाई जाने का आदेश प्रदान करावें व अप्रार्थीगण के इसमें सहमत नहीं होने की सूरत व जरिये पुलिस इम्दाद इसकी पालना करवायी जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:30:33 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस/सम्मन तलब किया। अप्रार्थीगण [illegible] को बार बार आवाजे दिलाई गई बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (पाली)

जैतारण पाली

नें पत्रावली मय दस्तावेजात का अवलोकन किया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी और उस पर मनन किया। प्रकरण का बिन्दूवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार -

प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 जस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम लितरिया थत वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 311/1 रकबा 1.6187 हैक्टर एवं ग्राम काणेचा थत खसरा संख्या 1/4 रकबा 2.4281 हेक्टर प्रार्थीया की खातेदारी कब्जे काश्त की राजी है। उक्त दोनो खसरा नम्बरान् की भूमियां लितरिया व काणेचा ग्राम की सरहद र स्थित होकर आपस में चिपते हुए आयी हुई है। प्रार्थीया की खातेदारी भूमि के उत्तर श्चिम पड़ौस में अप्रार्थी संख्या 01 से 04 व अप्रार्थी संख्या 05 से 08 की खातेदारी मि खसरा संख्या 308/1 व 308/2 आई हुई है। प्रार्थीया व अप्रार्थीगण की भूमि ौके पर अलग अलग व नक्शे में तरमीमशुदा है। इसके बावजूद अप्रार्थीगण द्वारा भूमि 5 नाप व सीमा को लेकर मौके पर विवाद करते है। तथा सीमाज्ञान करवाने से नानाकानी करते है। अतः प्रार्थीया व अप्रार्थी की आराजीयात् का मौके पर नापचौप कर सीमाज्ञान करवाया जाकर पत्थरगढी व नेकमबंदी का आदेश किया जावे।

2. अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

3. वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख ग्राम काणेचा की जमाबंदी अनुसार खसरा संख्या 1/4 रकबा 2.4281 हैक्टर एवं ग्राम लितरिया की जमाबंदी अनुसार खसरा संख्या 311/1 रकबा 1.6187 हैक्टर की प्रार्थीया अभिलिखित खातेदार है। एवं भू नक्शे में उक्त खसरे की आराजी तरमीमशुदा है तथा खसरा संख्या 308/1 व 308/2 के भू नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आराजी खसरा संख्या 311/1 की सीमा से लगती हुई स्थित है, तथा पृथक पृथक तरमीमशुदा है तथा उक्त खसरान् की भूमि की सीमा परस्पर मिलती है। उभयपक्ष के मध्य आराजीयात् की वास्तविक सीमा को लेकर विवाद की स्थिति में ऐसे विवादो का समाधान सीमाज्ञान एवं सीमा पर स्पष्ट सीमाचिह्न रोपित करवाकर ही करवाया जा सकता है। चूंकि उपर्युक्त खसरान् की आराजी भू नक्शा में तरमीमशुदा है तथा जमाबंदी में सभी खसरान् का कुल रकबा अंकित है। खातेदारान् के मध्य खसरा विशेष की वास्तविक सीमा की अवस्थिति को लेकर विवाद होना स्वाभाविक है तथा ऐसे विवादो का समाधान मोके पर सीमाज्ञान करवाया जाकर सीमा पर स्पष्ट सीमाचिह्न अधिरोपित करवाते हुए करवाया जा सकता है ताकि काश्तकारो के मध्य अनावश्यक विवाद एवं जटिलता उत्पन्न न हो। अतः हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रार्थीया की ग्राम लितरिया में स्थित आराजी खसरा संख्या 311/1 एवं ग्राम काणेचा में स्थित आराजी खसरा संख्या 1/4 एवं अप्रार्थीगण की ग्राम लितरिया में स्थित आराजी खसरा संख्या 308/1 एवं 308/2 की आराजी का राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 में वर्णित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए मुताबिक जमाबंदी एवं भू नक्शा मौके पर नाप चौप करते हुए प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य सीमाज्ञान करवाया जाकर प्रार्थी के खर्चे पर प्रार्थी की आराजी की सीमा पर सीमाचिह्न अधिरोपित करवाया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:50:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (पाली)

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अंतर्गत ा 111, 128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 भलीभांती साबित होनें एवं ावान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं प्रार्थीया की ग्राम– लितरिया पटवार हल्का काणेचा तहसील–जैतारण, जिला–पाली में त आराजी खसरा नम्बर 311/1 रकबा 1.6187 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल एवं म काणेचा पटवार हल्का काणेचा तहसील जैतारण में स्थित खसरा संख्या 1/4 रकबा 4281 हेक्टर किस्म बारानी दोयम एवं अप्रार्थीगण की ग्राम लितरिया में स्थित राजी खसरा नम्बर 308/1 व 308/2 के खातेदारान के मध्य राजस्थान भू राजस्व धिनियम, 1956 की धारा 111 में विहित प्रकिया का अनुपालन करते हुए मुताबिक माबंदी एवं भू नक्शे मौके पर नाप चौप कर सीमाज्ञान कर सीमा विवाद का निस्तारण रें, प्रार्थी के हर्जे खर्चे से उक्त खसरा संख्याओं की आराजी के मध्य सीमा–विभाजक पित करावें। उभय पक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर स्थित रहें। तहसीलदार, जैतारण को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर र्णित होकर संख्या से एक कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

र्णय आज दिनॉक 30/08/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:30:33 IST
Reason: SelfAttested